रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 752] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 16, 2017/फाल्गुन 25, 1938
No. 752] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 2017/PHALGUNA 25, 1938

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2017

**का.आ. 838(अ).—**एक प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2539(अ), तारीख 17 सितम्बर, 2015, द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुक्षाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 17 सितम्बर, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया;

और, दरांगघाटी वन्यजीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश के रामपुर, जिला शिमला में अवस्थित है और 77$^{0}$ 46' 20" से 77$^{0}$ 47' 32" पूर्व देशांतर और 31$^{0}$ 24' 03" से 31$^{0}$ 26' 42" उत्तरी अक्षांश के मध्य 167 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक इसका विस्तार है।

और, इस अभयारण्य में वनस्पतियां एवं जीव-जन्तु की जैव-विविधता की संपन्नता को दर्शाते हैं। तीतर की संकटपन्न प्रजातियाँ जैसे पश्चिमी ट्रागोपन (*ट्रोगोपार्न मेलानसेफेलस*), चीर तीतर (*कैटरस वालिची*) इस क्षेत्र में पाये जाते है; इस क्षेत्र में कस्तूरी हिरण (*मोशस क्रायसोगास्टर*) जैसी संकटापन्न स्तनपायी भी पाये जाते हैं और अन्य मुख्य प्रजातियाँ हिमालयन मोनल (*लोफोफोरस इम्पेनियस*), कोकलाश तीतर (*पक्रसिया मैक्रोओलोफा*) और कालीज तीतर (*लोफरा ल्यूकोमेलन*), हिमालियन थार, (*हेमित्रगस जेम्लाहिस*), घोरल (*नीमोर्हडिस गोरल*), सेराव (*एन. सुमात्रासिस*), भूरा भालू (उर्सस आर्कटोस), एशियाटिक काला भालू (उर्सस थिबेटनस), मुंजक (*मुनिटास मंटजाक*), और तेंदुआ (*पेंथेरा पार्डस*) आदि पाये जाते है;

और, पारिस्थितिक, पर्यावरणीय और जैव विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में दरांगघाटी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र जिसका विस्तार और सीमाएँ पैरा 1 में विनिर्दिष्ट है संरक्षित और सुरक्षित

करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों का वर्गों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दरांगघाटी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य में दरांगघाटी वन्यजीव अभयारण्य, की सीमा के चारों ओर 375 मीटर तक के विस्तार क्षेत्र को अधिसूचित करती है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-

**1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.—**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन, दरांगघाटी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 375 मीटर तक की सीमा से 22.5 वर्ग किलोमीटर होगा तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं और इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ मानचित्र **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई ग्राम नहीं आता है किन्तु नजदीक के ग्राम वनों के वास्तविक उपयोग पर निर्भर है ।

(3) दरांगघाटी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का ब्यौरा **उपाबंध II** में दिए गए हैं और दरांगघाटी वन्यजीव अभयारण्य और भूमंडलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांकों के निबंधनों में इसका पारिस्थितिक संवेदी जोन **उपाबंध III** में वर्णित है।

**2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—**(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से, एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य सरकार की विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए संबद्ध राज्य के सभी विभागों के परामर्श से उक्त योजना तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व ;
- (v) नगर विकास ;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों,

जनजातीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का मानचित्रों के साथ अभ्यकंन करेगी और योजना को मानचित्रों में दिए गए विद्यमान तथा प्रस्तावित भूमि उपयोग सुविधाओं के विवरण द्वारा समर्थित किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

(8) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग.—**(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों को प्रमुख वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा और मानचित्र के साथ आंचलिक महायोजना में स्पष्ट रूप से ऐसे क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है:

(ख) परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है:

(ग) परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

(ड.) परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(च) परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत.—**आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं ।

(3) **पर्यटन.**—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे तथापि, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**—राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**—राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम के प्रावधानों के अनुसार वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम लागू होंगे।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**—ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना

सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि. 343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि. 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **यानीय यातायात.—**परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों के अधीन नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(14) **औद्योगिक इकाईयां.—**(i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन को या उसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के वर्गीकरण के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी।

(15) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.—**पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

क. आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

ख. कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(16) अगर यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के प्रावधानों को प्रभावी करने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगा।

**4. प्रतिषिद्ध और विनियमित और संवर्धित क्रियाकलाप.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

**सारणी**

| क्रम सं. | क्रियाकलाप | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | **प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप** | |
| (1) | वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां। | (क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ;<br><br>(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा। |
| (2) | आरा मिलों की स्थापना। | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। |
| (3) | किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| (4) | जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना। | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। |
| (5) | नये वृहत थर्मल और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| (6) | पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण। | राज्य स्तर समिति द्वारा अनुज्ञात के सिवाए कोई सन्निर्माण क्रियाकलाप 1 से 10 से अधिक ढलाव वाली पहाड़ियों और किसी नदी, प्राकृतिक नाले, के किनारे से 100 मीटर तक नहीं किया जाएगा। |
| (7) | जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| (8) | प्लास्टिक के थैलों का उपयोग। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| (9) | फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों, आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना। | स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। |
| (10) | ईंट भट्टों की स्थापना करना। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। |
| | **विनियमित क्रियाकलाप** | |
| (11) | होटलों और रिसोर्टों की स्थापना। | कोई नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्ट पारिस्थितिक संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या सीमा तक पारिस्थितिक पर्यावरण क्रियाकलापों से संबंद्ध पर्यटकों के अस्थाई आवास के सिवाय, जो नजदीक हो अनुज्ञात नहीं होगा :<br>परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा। |

| | | |
|---|---|---|
| (12) | संनिर्माण क्रियाकलाप। | (क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा। <br><br> परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत आंचलिक महायोजना के अनुसार पैरा 6 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। <br><br> (ख) परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे, यदि कोई हो। |
| (13) | खाई-स्थल। | नए खाई स्थल का स्थापन को प्रतिषिद्ध किया जाएगा और पुराने खाई स्थलों को लागू विधियों के अनुसार विनियमिति किया जाएगा। |
| (14) | प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (15) | वायु और यानिक प्रदूषण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (16) | ध्वनि प्रदूषण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (17) | भू-जल का निष्कर्षण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (18) | वृक्षों की कटाई। | (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी ; <br> (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ; <br> (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्य-योजना के निदेशों का पालन किया जाएगा। |
| (19) | प्रवासी चारागाहों। | लागू विधियों के अधीन और आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे। |
| (20) | विद्यमान सुथापनों। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (21) | विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा)। |
| (22) | नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे। | लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे। |
| (23) | विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना। | लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे। |
| (24) | रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन। | लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे। |
| (25) | प्रवासी प्रजातियों को लाना। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (26) | प्लास्टिक थैलों का उपयोग। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (27) | पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (28) | प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |

| | | |
|---|---|---|
| (29) | प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग। | पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे। |
| (30) | वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (31) | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। | ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार होगा। |
| (32) | पारिस्थितिक-पर्यटन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (33) | पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| | **संवर्धित क्रियाकलाप** | |
| (34) | स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| (35) | जैविक खेती। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| (36) | सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| (37) | कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| (38) | वर्षा जल संचयन। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| (39) | नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| (40) | कृषि वानिकी। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| (41) | पर्यावरणीय जागरुकता। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| (42) | कौशल विकास। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| (43) | निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की जीर्णोद्वार। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |

**5. मानीटरी समिति.—**(1) केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

**निम्नलिखित सदस्यों के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए मानीटरी समिति, अर्थात् :-**

(i) उपायुक्त, शिमला - अध्यक्ष ;

(ii) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(iii) पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनिधि – सदस्य ;

(iv) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे भारत सरकार का द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में और विरासत संरक्षण कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा –सदस्य ;

(v) कार्यपालक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य ;

(vi) उपखंड अधिकारी, रामपुर या उनके प्रतिनिधि – सदस्य ;

(vii) खंड वन अधिकारी (क्षेत्रीय) – सदस्य ;

(viii) जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य – सदस्य ;

(ix) प्रभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव) – सदस्य-सचिव ।

**6. निर्देश निबंधन.—**

(1) समिति का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और उसके पैरा 4 के अधीन स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान भारसाधक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध** IV पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

उपाबंध I

## दरांगघाटी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

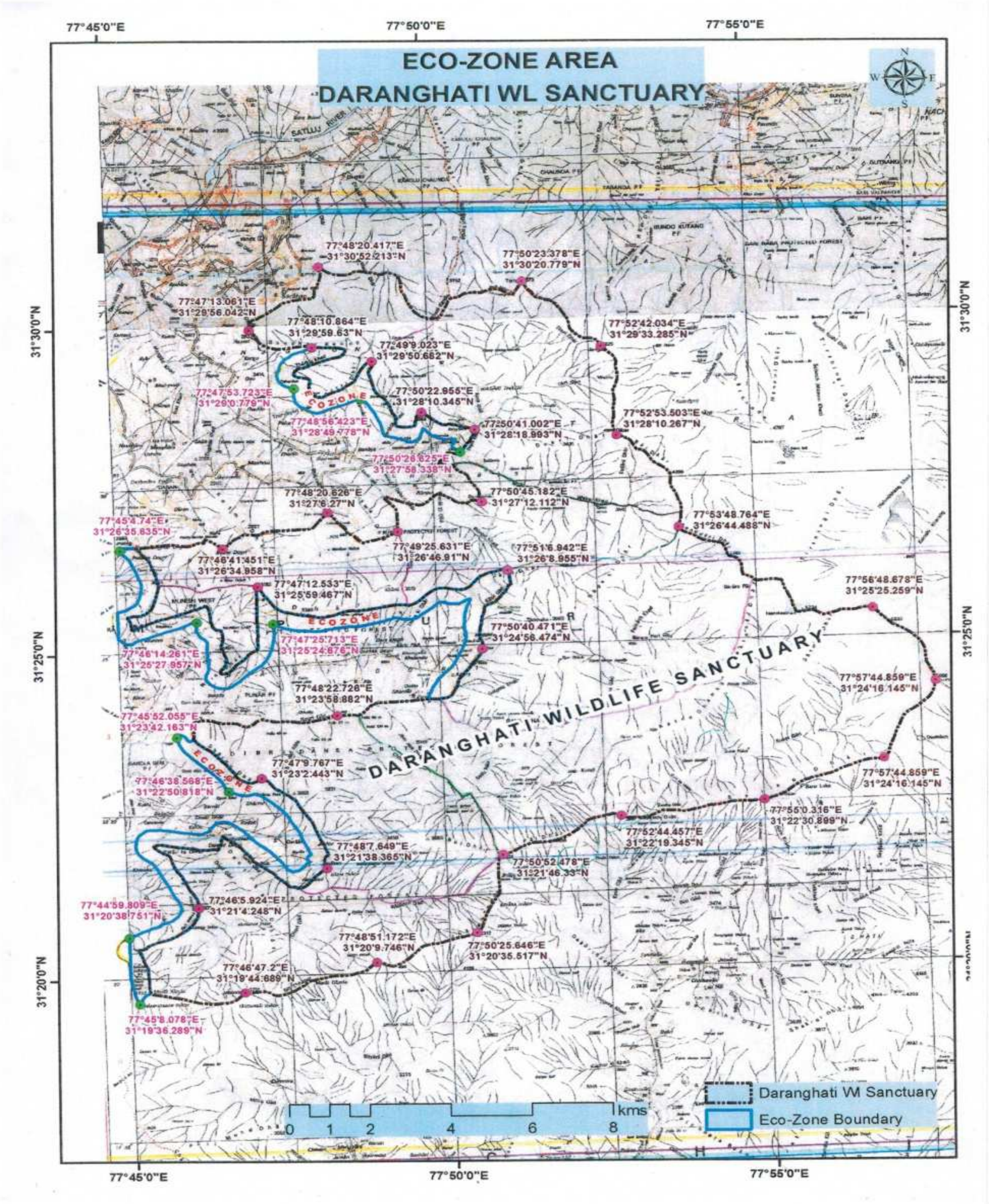

उपाबंध-II

दरांगघाटी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण

संरक्षित क्षेत्र (मुख्य सीमाएं) के निर्देशांक

| दिशा | अक्षांश | देशांतर |
|---|---|---|
| उत्तर | 31°30'52" | 77°48'25" |
| पूर्व | 31°24'22" | 77°57‘48" |
| दक्षिण | 31°19‘45" | 78°13‘09" |
| पश्चिम | 31°25'23" | 77°45‘50" |

उपाबंध- III

दरांगघाटी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक

क. दरांगघाटी वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक

| क्रं. सं. | अक्षांश (उ) | देशांतर (पू) |
|---|---|---|
| 1 | 31$^0$ 19′ 44.689 ″ | 77$^0$ 46′ 47.2″ |
| 2 | 31$^0$ 20′ 9.746″ | 77$^0$ 48′ 51.172″ |
| 3 | 31$^0$ 20′ 35.517″ | 77$^0$ 50′ 25.646″ |
| 4 | 31$^0$ 21′ 4.248″ | 77$^0$ 46′ 5.924″ |
| 5 | 31$^0$ 21′ 38.365″ | 77$^0$ 48′ 7.649″ |
| 6 | 31$^0$ 21′ 46.33″ | 77$^0$ 50′52 .478″ |
| 7 | 31$^0$ 23′ 2.443″ | 77$^0$ 47′9 .767″ |
| 8 | 31$^0$ 23′ 58.882″ | 77$^0$ 48′ 22.726″ |
| 9 | 31$^0$ 24′ 56.474″ | 77$^0$ 50′ 40.471″ |
| 10 | 31$^0$ 24′ 16.145″ | 77$^0$ 57′ 44.859″ |
| 11 | 31$^0$ 25′ 59.467″ | 77$^0$ 47′ 12.533″ |
| 12 | 31$^0$ 26′ 34.958″ | 77$^0$ 46′ 41.451″ |
| 13 | 31$^0$ 26′ 46.51″ | 77$^0$ 49′ 25.631″ |
| 14 | 31$^0$ 26′ 8.955″ | 77$^0$ 51′ 6.942″ |
| 15 | 31$^0$ 27′ 6.27″ | 77$^0$ 48′ 20.626″ |
| 16 | 31$^0$ 27′ 12.112″ | 77$^0$ 50′ 45.182″ |
| 17 | 31$^0$ 28′ 18.993″ | 77$^0$ 50′ 41.002″ |
| 18 | 31$^0$ 28′ 10.345″ | 77$^0$ 50′ 22.955″ |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 31⁰ 29′ 50.682″ | 77⁰ 49′ 9.023″ |
| 20 | 31⁰ 29′ 59.63″ | 77⁰ 48′ 10.864″ |
| 21 | 31⁰ 29′ 56.042″ | 77⁰ 47′ 13.061″ |
| 22 | 31⁰ 30′ 52.213″ | 77⁰ 48′ 20.417″ |
| 23 | 31⁰ 30′ 20.779″ | 77⁰ 50′ 23.378″ |
| 24 | 31⁰ 29′ 33.285″ | 77⁰ 52′ 42.034″ |
| 25 | 31⁰ 28′ 10.267″ | 77⁰ 52′ 53.503″ |
| 26 | 31⁰ 26′ 44.488″ | 77⁰ 53′ 48.764″ |
| 27 | 31⁰ 25′ 25.259″ | 77⁰ 56′ 48.678″ |
| 28 | 31⁰ 22′ 30.899″ | 77⁰ 55′ 0.316″ |
| 29 | 31⁰ 22′ 19.345″ | 77⁰ 52′ 44.457″ |
| 30 | 31⁰ 24′ 16.145″ | 77⁰ 57′ 44.859″ |

ख. दरांगघाटी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक

| क्रं. सं. | अक्षांश (उ) | देशांतर (पू) |
|---|---|---|
| 1 | 31°29‘0.77" | 77°47‘53.7" |
| 2 | 31°28‘49.7" | 77°48′56.4" |
| 3 | 31°27′58.3" | 77°50′26.6" |
| 4 | 31°26‘35.6" | 77°45‘4.7" |
| 5 | 31°25′27.9" | 77°46′14.2" |
| 6 | 31°25′24.6" | 77°47′25.7" |
| 7 | 31°23′42.1" | 77°45′52.0" |
| 8 | 31°22′50.1" | 77°46′38.5" |
| 9 | 31°20′38.7" | 77°44′59.8" |
| 10 | 31°19′36.2" | 77°45‘8.0" |

उपाबंध- IV

**पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोन)। ब्यौरे उपाबंध के रुप में संलग्न किए जा सकते हैं।
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

[फा. सं. 25/46/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

**MINISTRY OF ENVIORNMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2017

**S.O. 838(E).—**WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2539 (E), dated the 17$^{th}$ September, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

**AND WHEREAS,** copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 17$^{th}$ September, 2015;

**AND WHEREAS,** objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

**AND WHEREAS,** the Daranghati Wildlife Sanctuary located in Rampur, Shimla District, Himachal Pradesh and lying between 77$^{o}$46▪ 20▪ to 77$^{o}$47▪ 32▪ E longitude and 31$^{o}$24▪ 03▪ to 31$^{o}$26▪ 42▪ N latitude spread over an area of 167 Sq. km.

**AND WHEREAS**, the flora and fauna represent rich biological significance of this Sanctuary the highly endangered species of pheasants like western tragopan *(Tragopan melanocephalus),* Cheer Pheasant *(Catreus wallichii),* are found in this area; Musk Deer *(Moschus chrysogaster)* an endangered mammal is also found in this area and other main species found are Himalayan Monal (Lophophorus impejanus), Koklass Pheasant (Pucrasia macrolopha) and Kaleej Pheasant (Lophura leucomelanos), Himalayan Thar *(Hemitragus jemlahicus)*, Goral

*(Nemorhaedus goral),* Serow *(N. sumatraensis),* Brown Bear (*Ursus arctos),* Asiatic Black Bear *(Ursus thibetanus*), Barking Deer (*Muntiacus muntjak),* and Leopard (Panthera pardus);

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the inter and boundaries are specified in paragraph 1 surrounding the protected area of Darangahti Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW THEREFORE,** in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent upto 375 meters around the boundary of Daranghati Wildlife Sanctuary in the State of Himachal Pradesh as the Daranghati Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The Eco-Sensitive Zone shall be of 22.5 sq. kms with an extent upto 375 meters around the boundary of Daranghati Wildlife Sanctuary and the map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-I.**

(2) No villages are falling in Eco-sensitive Zone, but nearby villages are dependent on forests.

(3) The boundaries of Daranghati Wildlife Sanctuary are given in **Annexure-II** and the boundary details of Daranghati Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone in terms of Geographical Positioning System coordinates are given in **Annexure-III**.

**2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration and approval of the Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said Plan:

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj ;

(xi) Public Works Department,

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like

places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

(1) **Land use.—**

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or industrial activities and such areas shall be clearly defined in the Zonal Master Plan along with maps:

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable, to meet the residential needs of the local residents and for the following activities, namely:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas and efforts:

(g) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment area plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer, however, beyond the distance of 1 kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up as part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement standards and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein.—

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:—

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Plastic Waste Management:-** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management:-** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317 (E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(14) **Industrial units-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed to be established within Eco-sensitive Zone as per the Central Pollution Control Board・s categorisation.

**(15) Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

**16.** The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. **Prohibited, regulated and promoted activities.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

**TABLE**

| S. No. | Activity | Remarks |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | **Prohibited Activities** | |
| 1. | Commercial mining, stone quarrying and crushing units. | (a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption and for other activities.<br><br>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon・ble Supreme Court dated 04th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012. |
| 2. | Setting up of saw mills. | No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 3. | Use or production of any hazardous substances. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 4. | Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution. | No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. |
| 5. | Establishment of new major thermal and hydro-electric projects. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 6. | Protection of hill slopes and river banks. | No construction activity unless otherwise permitted by State Level Committee shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also up to 100 meters from the banks of any river, and natural nallah. |
| 7. | Commercial use of firewood. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 8. | Use of polythene bags. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs. |
| 10. | Setting up of brick kilns. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| **Regulated Activities** | | |
| 11. | Establishment of hotels and resorts. | No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:<br>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable. |
| 12. | Construction activities. | (a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone:<br>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per applicable building byelaws:<br>(b) Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. |
| 13. | Trenching ground. | Establishing of new trenching ground shall be prohibited and old trenching grounds shall be regulated under applicable laws. |
| 14. | Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or land area. | Regulated under applicable laws. |
| 15. | Air and vehicular pollution. | Regulated under applicable laws. |
| 16. | Noise pollution. | Regulated under applicable laws. |
| 17. | Extraction of ground water. | Regulated under applicable laws. |
| 18. | Felling of trees. | (a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.<br>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.<br>(c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed. |
| 19. | Migratory graziers. | Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan. |
| 20. | Existing establishments. | Regulated under applicable laws. |
| 21. | Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures | Regulated under applicable law (underground cabling may be promoted). |
| 22. | Infrastructure including civic amenities. | Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines. |
| 23. | Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads. | Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines. |
| 24. | Movement of vehicular traffic at night. | Regulated for commercial purpose, under applicable laws. |

| | | |
|---|---|---|
| 25. | Introduction of exotic species. | Regulated under applicable laws. |
| 26. | Uses of plastic carry bags. | Regulated under applicable laws. |
| 27. | Protection of hill slopes and river banks. | Regulated under applicable laws. |
| 28. | Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area. | The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws and efforts shall be made to recycle/re-use the treated effluent. |
| 29. | Small scale industries not causing pollution. | Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted. |
| 30. | Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP). | Regulated under applicable laws. |
| 31. | Solid Waste Management. | Management of solid waste shall be as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 under Environment (Protection) Act, 1986. |
| 32. | Eco-tourism. | Regulated under applicable laws. |
| 33. | Undertaking activities related to eco-tourism like over-flying the Wildlife Sanctuary Area by aircraft, hot-air balloons. | Regulated under applicable laws. |
| **Promoted Activities** | | |
| 34. | Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries. | Shall be actively promoted. |
| 35. | Organic farming. | Shall be actively promoted. |
| 36. | Adoption of green technology for all activities. | Shall be actively promoted. |
| 37. | Cottage industries including village artisans. | Shall be actively promoted. |
| 38. | Rain water harvesting. | Shall be actively promoted. |
| 39. | Use of renewable energy sources. | Shall be actively promoted. |
| 40. | Agro Forestry. | Shall be actively promoted. |
| 41. | Environmental Awareness. | Shall be actively promoted. |
| 42. | Skill Development. | Shall be actively promoted. |
| 43. | Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat. | Shall be actively promoted. |

**Monitoring Committee.-** (1) The Central Government for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, hereby constitutes a Committee for the State of Himachal Pradesh to be called the Monitoring Committee(MC),as under:-

**Monitoring Committee for the State of Himachal Pradesh comprising of the following members, namely:-**

(i) Deputy Commissioner, Shimla - Chairman;

(ii) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Himachal Pradesh for a period of three year - Member;

(iii) Representative of Ministry of Environment Forest and Climate Change - Member;

(iv) One representatives of Non-governmental Organization (working in the field of environment including heritage Conservation) to be nominated by the Government of India for a period of three year - Member;

| | | | |
|---|---|---|---|
| (v) | Executive Engineer, Himachal Pradesh Pollution Control Board | - | Member; |
| (vi) | Sub Divisional Magistrate Rampur or his representative | - | Member ; |
| (vii) | Division Forest Officer (Territorial) | - | Member; |
| (viii) | Member of the State Biodiversity Board | - | Member; |
| (ix) | Divisional Forest Officer (Wild Life) | - | Member-Secretary. |

**6. Terms of reference:**

(1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the MC based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma given in **Annexure IV.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon▪ ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal (NGT).

**ANNEXURE-I**

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DARANGAHTI WILDLIFE SANCTUARY**

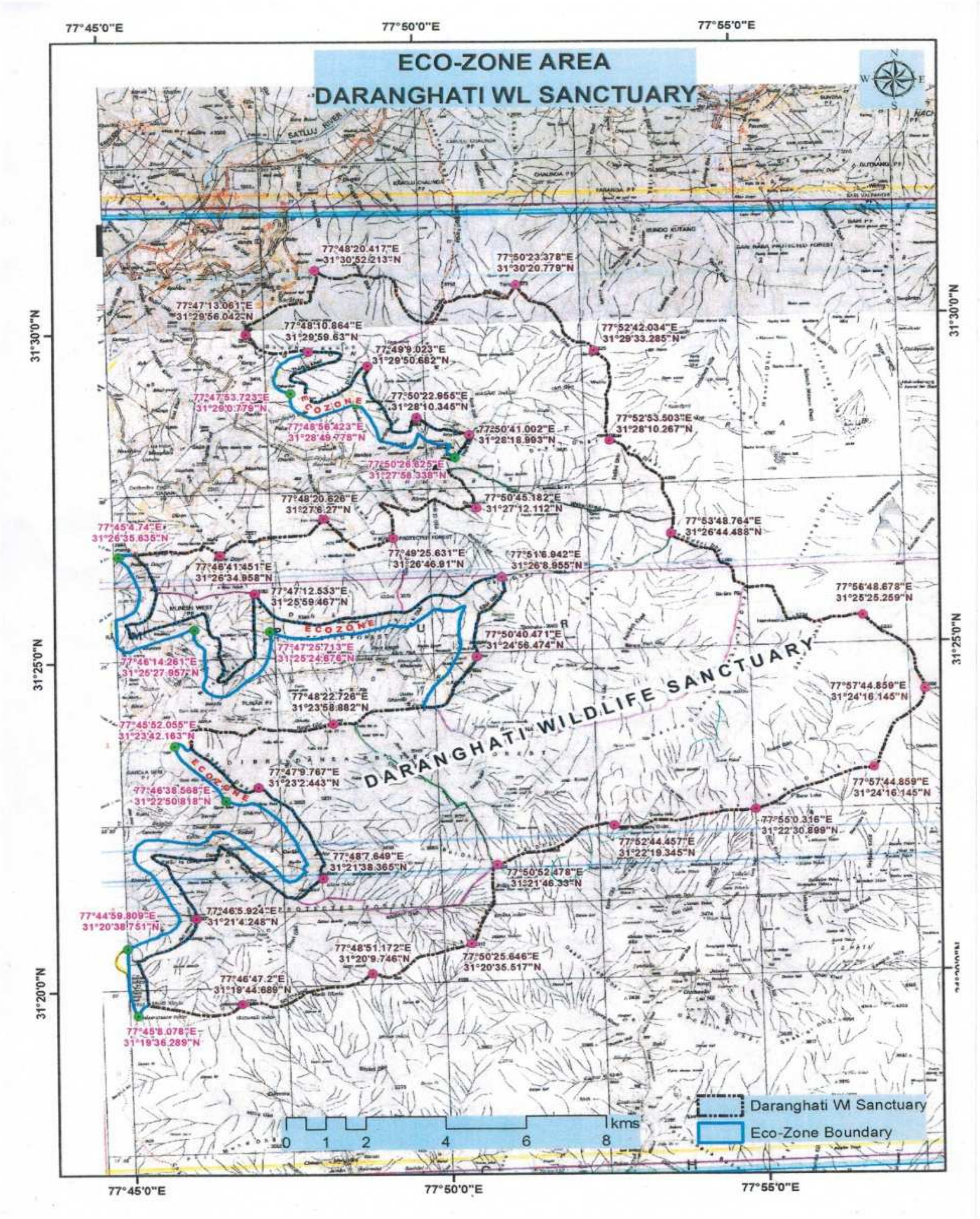

**ANNEXURE-II**

**Boundary details of Darangahti Wildlife Sanctuary (major points)**

| Direction | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| North | 31°30'52" | 77°48'25" |
| East | 31°24'22" | 77°57'48" |
| South | 31°19'45" | 78°13'09" |
| West | 31°25'23" | 77°45'50" |

**ANNEXURE-III**

**Co-ordinates of Darangahti Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone**

**A. Co-ordinates of Darangahti Wildlife Sanctuary**

| S.No. | Latitude (N) | Longitude (E) |
|---|---|---|
| 1 | 31° 19’ 44.689" | 77° 46’ 47.2” |
| 2 | 31° 20’ 9.746" | 77° 48’ 51.172” |
| 3 | 31°20’ 35.517" | 77° 50’ 25.646” |
| 4 | 31° 21’ 4.248” | 77°46’ 5.924” |
| 5 | 31° 21’ 38.365” | 77° 48’ 7.649” |
| 6 | 31° 21’ 46.33” | 77° 50’52 .478” |
| 7 | 31° 23’ 2.443” | 77° 47’9 .767” |
| 8 | 31° 23’ 58.882” | 77° 48’ 22.726” |
| 9 | 31°24’ 56.474” | 77°50’ 40.471” |
| 10 | 31° 24’ 16.145” | 77°57’ 44.859” |
| 11 | 31° 25’ 59.467” | 77°47’ 12.533” |
| 12 | 31° 26’ 34.958” | 77°46’ 41.451” |
| 13 | 31°26’ 46.51” | 77° 49’ 25.631” |
| 14 | 31°26’ 8.955” | 77°51’ 6.942” |
| 15 | 31°27’ 6.27” | 77° 48’ 20.626” |
| 16 | 31° 27’ 12.112” | 77° 50’ 45.182” |
| 17 | 31° 28’ 18.993” | 77° 50’ 41.002” |
| 18 | 31° 28’ 10.345” | 77°50’ 22.955” |
| 19 | 31°29’ 50.682” | 77° 49’ 9.023” |
| 20 | 31° 29’ 59.63” | 77° 48’ 10.864” |
| 21 | 31° 29’ 56.042” | 77°47’ 13.061” |
| 22 | 31° 30’ 52.213” | 77°48’ 20.417” |
| 23 | 31° 30’ 20.779” | 77°50’ 23.378” |
| 24 | 31° 29’ 33.285” | 77° 52’ 42.034” |
| 25 | 31° 28’ 10.267” | 77° 52’ 53.503” |
| 26 | 31° 26’ 44.488” | 77° 53’ 48.764” |

| | | |
|---|---|---|
| 27 | 31° 25’ 25.259” | 77° 56’ 48.678” |
| 28 | 31° 22’ 30.899” | 77° 55’ 0.316” |
| 29 | 31°22’ 19.345” | 77° 52’ 44.457” |
| 30 | 31°24’ 16.145” | 77°57’ 44.859” |

**B. Co-ordinates of Eco-sensitive Zone around Darangahti Wildlife Sanctuary**

| S.No. | Latitude (N) | Longitude (E) |
|---|---|---|
| 1 | 31°29‘0.77" | 77°47‘53.7" |
| 2 | 31°28‘49.7" | 77°48’56.4" |
| 3 | 31°27’58.3" | 77°50’26.6" |
| 4 | 31°26‘35.6" | 77°45‘4.7" |
| 5 | 31°25’27.9" | 77°46’14.2" |
| 6 | 31°25’24.6" | 77°47’25.7" |
| 7 | 31°23’42.1" | 77°45’52.0" |
| 8 | 31°22’50.1" | 77°46’38.5" |
| 9 | 31°20’38.7" | 77°44’59.8" |
| 10 | 31°19’36.2" | 77°45‘8.0" |

**ANNEXURE-IV**

**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

[F. No.25/46/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist ‘G’

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.03.17 15:26:19 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.